

प्रेषक,

जय प्रकाश सगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा, मैनपुरी, बांदा, मेरठ एवं गाजियाबाद।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक : 19 अक्टूबर, 2016

विषय- वर्ष 2015 में ओलावृष्टि/अतिवृष्टि-2015 से प्रभावित किसानों को शासन द्वारा स्वीकृत की गयी धनराशि के वितरण के पश्चात् अवशेष किसानों तथा धनराशि का विवरण प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या-972/1-10-2016-33(16)/2015, दिनांक 05.09.2016 द्वारा ओलावृष्टि/अतिवृष्टि-2015 से प्रभावित किसानों को शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि तथा जनपदों द्वारा वितरित की गयी धनराशि का विवरण प्रेषित करते हुये उक्त पत्र में उल्लिखित प्रारूप-1 एवं 2 पर सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। प्रारूप संख्या-01 के बिन्दु संख्या-01 में ऐसे किसानों की संख्या मांगी गयी थी जिन्हें भारत सरकार एवं राज्य सरकार (दोनों) द्वारा कोई सहायता नहीं प्रदान की गयी है तथा उसके लिये आवश्यक धनराशि का विवरण मांगा गया था।

2- यह उल्लेख करना है कि जिलाधिकारी आगरा, मैनपुरी, बांदा, मेरठ एवं गाजियाबाद द्वारा पूर्व में दी गयी धनराशि के वितरण के कम में किसानों की संख्या और अवशेष किसानों की संख्या जिन्हें भारत सरकार तथा राज्य सरकार (दोनों) द्वारा कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है, का विवरण प्रेषित किया गया है, से सम्बन्धित विवरण प्रेषित करते हुये धनराशि की मांग की गयी है जिसकी स्थिति निम्नवत् है:-

जनपद का नाम	कुल प्रभावित किसानों की संख्या	ऐसे किसानों की संख्या जिन्हें पूर्व में कृषि निवेश अनुदान वितरित किया गया है	ऐसे किसानों की संख्या जिन्हें भारत सरकार तथा राज्य सरकार (दोनों) द्वारा कोई सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है, हेतु मांगी जा रही धनराशि (करोड़ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
आगरा	148611	200952	117.52	जनपद आगरा द्वारा प्रभावित किसानों से अधिक किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है फिर धनराशि की मांग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
मैनपुरी	184479	189527	29.00	जनपद मैनपुरी द्वारा प्रभावित किसानों से अधिक किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है फिर धनराशि की मांग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

वांदा	394083	394083	217.23	जनपद वांदा द्वारा समस्त प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है फिर धनराशि की मांग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
मेरठ	21143	21143	9.28	जनपद मेरठ द्वारा समस्त प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है फिर धनराशि की मांग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।
गाजियाबाद	17866	17866	7.28	जनपद गाजियाबाद द्वारा समस्त प्रभावित किसानों को कृषि निवेश अनुदान वितरित किया जा चुका है फिर धनराशि की मांग का औचित्य स्पष्ट नहीं है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तर-2 कालम संख्या-5 में उल्लिखित विवरण के क्रम में पूर्ण औचित्य सहित शासन के पत्र संख्या-972/1-10-2016-33(16)/2015, दिनांक 05.09.2016 में उल्लिखित प्रारूप संख्या-01 एवं 02 पर सूचना/विवरण दो दिन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि धनराशि स्वीकृत की जा सके।

भवदीय,

 (जय प्रकाश सगर)
 विशेष सचिव।